देवीलाल — रामनारायण वगैरा
दावा

(15)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2004/00012	

11-3-2022 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-4-2022 को पेश हो।

रीडर

20-4-2022 वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-4-2022 को पेश हो।

22-4-2022 वकील वादी उप०। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(16)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
09/2004	20.1.2004	22.4.2022

1. देवीलाल पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 लक्ष्मण पुत्र देवीलाल जाति चमार निवासी गंगापुर सिटी
2 जगनलाल पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
2/1 सज्जन कुमार | पुत्रान स्वर्गीय श्री जगनलाल जाति चमार
2/2 संजीव कुमार | निवासी गंगापुर सिटी
2/3 शीला पत्नी बाबूलाल पुत्री स्व. जगनलाल, चमार नि. फलोदी जिला सवाई माधोपुर
2/4 प्रेम पत्नी हरिलाल पुत्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम फलौदी
2/5 मोहनी पत्नी बत्तूसिंह पुत्री श्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम अकोलपुरा तहसील व जिला करौली
2/6 मिथलेश पत्नी जलसिंह पुत्री श्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम अकोलपुरा तहसील व जिला करौली
2/7 सुमन पत्नी बवलू पुत्री जगनलाल, चमार निवासी नादौती जिला करौली
3 पूरण पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
3/1 शिवचरण पुत्र पूरण, चमार निवासी गंगापुर सिटी
4 गोविन्दा पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी
5 बंशी पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
5/1 नारायणी बेवा स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी
5/2 राजू पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी
5/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी
5/4 पवन पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी
5/5 गुड्डी पत्नी गोपाल पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम बागौर तहसील नौदाती जिला करौली
5/6 विमला पत्नी स्वर्गीय बत्तीलाल पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम बागौर तहसील नादौती जिला करौली
5/7 मन्जू पत्नी अशोक कुमार पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम फलौदी तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1 रामनारायण दत्तक पुत्र पन्ना, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1 रमेश पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी
1/2 कान्जी पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी
1/3 भौरया पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी
1/4 घनश्याम पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी

ला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

/5 झूमादेवी बेवा स्व. रामनारायण, चमार निवारी गंगापुर सिटी
/6 गिन्नी पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवारी गंगापुर सिटी
2 रामधन पुत्र परसा, चमार निवारी चमारपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
3 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
4 राधेश्याम पुत्र नाथूराम, रैगर निवासी मोतीपुर तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित : श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पिता दयाचन्द उर्फ दयानन्द, प्रतिवादी नम्बर 1 रामनारायण तथा प्रतिवादी नं0 2 के पिता परसा के पिता घासी थे। आराजी खसरा नम्बर 70 रकवा 0.95 हेक्टर के साबिका खसरा नम्बर 35 व एकीकरण से पूर्व साबिका खसरा नम्बर 46 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा भूमि ग्राम ताजपुर में स्थित रही है। घासी की मृत्यु के पश्चात् साबिक आराजी खसरा नम्बर 46 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2003 लगायत 2022 बन्दोवस्त में दयानंद, परसा व रामनारायण पिसरान घासी कौम चमार दर्ज है। भूमि एकीकरण में उपरोक्त भूमि का खसरा नम्बर 35 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा तीन बीघा ग्यारह विस्वा बनाया गया। परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से जमाबंदी सं0 2016 के खाना नम्बर 4 मे कृषक का नाम वाले खाने में दयाचन्द पुत्र रामनारायण, रामधन पुत्र परसा चमार अंकित कर दिया। चूकि रामनारायण काफी लम्बे समय पूर्व ही पन्ना के गोद चला गया इस कारण रामनारायण प्रतिवादी नम्बर 1 का कोई वैधानिक अधिकार उपरोक्त विवादित आराजी पर नही रहा। पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इतना ही नही दयाचन्द उर्फ दयानंद पुत्र घासी है जिसे गलती से दयाचन्द पुत्र रामनारायण दर्ज कर दिया जो काबिले दुरूस्ती है। संवत 2023–2039 की जमाबदीं मे पुनः दयाचन्द पुत्र रामनारायण तथा रामधन पुत्र ग्यारसा गलत अंकित कर दिया। जबकि सही दयाचन्द उर्फ दयानन्द पुत्र घासी एवं रामधन पुत्र परसा होना चाहिये था। यह गलत खातेदार इन्द्राज भी दुरूस्ती के काबिल है। रामनारायण पन्ना चमार निवासी गंगापुर सिटी के गोद चला गया। यह इन्द्राज भी राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गलती से दर्ज हो गया जो कि काबिले दुरूस्ती है। वर्तमान सेटिलमेन्ट ने नये खसरा नम्बर 70 रकवा 0.95 हेक्टर बनाकर ख0नं0 4 में उपरोक्त खातेदारी की प्रविष्टि अंकित कर दी गयी यह गलती भू–प्रबन्ध

...र जिला कलेक्टर
...गापुर सिटी (स0मा0)

अधिकारियों द्वारा दौराने भू–प्रबन्ध की गयी। अतः संवत 2039 लगायत 2061 के राजस्व रिकॉर्ड का अंकन बावत खातेदारी ख0नं0 4 दुरूस्ती के लायक है। प्रतिवादी संख्या 2 रामधन पुत्र परसा बचपन से ही अपनी नाना, मामा के ग्राम चमारपुर तहसील सपोटरा चला गया। उसने भी अपना अधिकार वादीगण के साथ सहखातेदारी मे से स्वेइच्छा पूर्वक त्याग कर दिया। उसी पर प्रतिवादी नम्बर 1 पूर्व मे ही पचासो साल पूर्व पन्ना के गोद चले जाने के कारण भूमि मुतदाविया से सम्बन्ध समाप्त हो गया अर्थात प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का खोतेदारी के अधिकार समाप्त हो गये है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि गलत की गयी है वह भी दुरूस्ती लायक है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम खातेदारी मे से हजफ किये जाने योग्य है। इसी कारण दावा घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। उपरोक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण को पहले से नहीं थी। अब राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त होने पर उपरोक्त गलत इन्द्राज की जानकारी बयोम प्राप्ति नकल दिनांक 16.11.2003 तथा प्राप्ति मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 27.12.2003 को हुई। दयाचन्द उर्फ दयानन्द पिता वादीगण का भी देहावसान दिनांक 08.07.2003 को हो गया है उसके कानूनी वारिसान वादीगण है जो उसकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस साल भी वादीगण द्वारा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 70 रकवा 0.95 हेक्टर, साबिक खसरा नबर 35 एवं एकीकरण से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 46 रकबा तीन बीघा ग्यारह विस्वा काश्त कर रखी है जो वादीगण की परवरिश से सरसब्ज है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खसरा गिरदावरी नं0 2003 लगायत 2023, 2016 लगायत 2038, 2060, वर्तमान जमाबंदी सं0 2057 लगायत 2061 एवं अन्य मे खातेदारी के खाना नं0 4 मे दयानंद उर्फ दयाचन्द पुत्र घासी, सं0 2016 से सं0 2028 लगायत 2031 एवं रामधन पुत्र परसा दर्ज किया जावे एवं जहां भी दयाचन्द के पिता का नाम रामनारायण दर्ज किया है उसे रामधन के पिता का नाम ग्यारसा दर्ज किया जाकर उक्त दोनों नाम हजफ घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावें। वादीगण को उपरोक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 70 रकवा 0.95 हेक्टर स्थित ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर एकाकी खातेदार घोषित फरमाये जाने की डिक्री बकह वादीगण फरमाई जाकर

जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती फरमाई जाने की डिक्री वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 65 वाद पत्र के दूसरी लाईन में दर्ज किया है वह गलत है। आराजी खसरा नम्बर 65 नही है बल्कि 35 है। भूमि मुतदाविया पर मिन जवाबदारान काबिज रहकर काश्त कर भूमि व फसल से लाभान्वित होते चले आ रहे है। संवत 2003 लगायत 2022 की खतौनी में आराजी खसरा नम्बर 46 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा जिसके भूमि एकीकरण संवत 2016 मे ख0न0 35 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा व हाल बन्दोवस्त सं0 2039 में खसरा नम्बर 70 रकवा 95 ऐयर ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी कायम किया गया है, इस पर जबावदारान काबिज काश्त उक्त भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही है। प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 को जो अधिकार हासिल हो चुके है वे निरस्त नही किया जा सकते है। कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवन्यु में इन्द्राज खातेदारी मिन जवाबदारान के नाम दर्ज है। वादीगण का भूमि मुतदाविया पर कब्जा नही है। बिला कब्जा दावा घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती की रिलीफ का वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है। भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रिवियस इन्द्राज के मुताविक ही इन्द्राज दर्ज किये है। उसके किसी प्रकार की कोई गलती नही की है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नं0 5 में तथ्य गलत अंकित किये है कि जबावदार नं0 2 का ग्राम सपोटरा में अपने मामा के यहां जाना जबावदार नं0 1 का गोद जाना गलत दर्ज किया है। सही बात यह है कि भूमि मुतदाविया से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के मद नं0 6 में तथ्य गलत अंकित किये है। वादीगण ने इनद्राज की जानकारी 16.11.2003 को होना दर्ज किया है। जबकि 16.11.2003 से पूर्व तीन पैमाइश हो चुकी है। जैसा कि संवत 2003 लगायत 2022, कन्सोलीडेशन सं0 2016, वर्तमान बन्दोवस्त सं0 2039 जिसमें कि रेवन्यु रिकार्ड सरकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रकार वादीगण का यह कहना कि उसको जानकारी दिनांक 16.11.2003 को हुई। पूर्णतया गलत है। कन्सोलीडेशन द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी न्यायालय द्वारा चेलेन्ज नही किया जा सकता है न कि बदला जा सकता है इस प्रकार इन्द्राज रेवन्यु रिकार्ड खातेदारी जवाबदारान अन्तिम रूप से तय

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

हो चुका है। जिसको इस न्यायालय द्वारा बदलने का कोई अधिकार नही दावा स्पष्टतया मियाद बाहर पेश किया गया है। वादीगण को सही जानकारी नही है और बिना जानकारी के उसने गलत तथ्य व वाकेयात के आधार पर महज जबावदारान को हैरान व परेशान करने के उद्‌देश्य से गलत दावा पेश किया गया है। दावा हाजा सुनने का क्षेत्राअधिकार माननीय न्यायलय को हासिल नही है। क्योंकि वादीगण को घोषणा खातेदारी सं0 2003 लगायत 2022 बन्दोवस्त से कन्सोलीडेशन सं0 2016 व वर्तमान बंदोबस्त सं0 2039 से अब तक की चाही है जो इस न्यायालय द्वारा नही दी जा सकती। क्योंकि भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी न्याय़ालय मे चेलेन्ज नही किया जा सकता है न कि किसी न्यायालय को सुनने का अधिकार है। जबाबदावे के विशेष विवरण में अंकित किया है वादीगण ने दावा गलत तथ्य व वाकेयात के आधार पर दायर किया है। वादीगण का भूमि मुतदाविया पर कब्जा नही है। बिना कब्जा दावा वादीगण घोषणा खोतदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। बिला कागज ऑफ एक्शन होने के कारण आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. से वार्ड वाई लॉ होने के कारण संचलित योग्य नही है। दावा मियाद बाहर पेश किया है व क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। वादीगण ने इन्द्राज़ दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी 58 साल पूर्व की चाही है जबकि चकबन्दी भूमि एकीकरण व बन्दोवस्त हो चुका, जिसमें काश्तकारों को सुनने हेतु पर्चा नोटिस जारी किया जाता है। इसके बाद उज्रदारियों को सुना जाना है उसके बाद में अन्तिम पर्चा लगानी पर्चा दिया जाता है। गंगापुर सिटी तहसील सर्वे सेटिलमेन्ट सन 1975 में शुरू होकर 21 मार्च 1984 को वाई गजट नोटिफिकेशन क्लोज हो चुका। इस प्रकार सन 1984 से सन 2004 तक 20 साल का समय हो चुका है व इससे पूर्व संवत 2016 को कन्सोलीडेशन हो चुका व इससे पूर्व चकबन्दी संवत 2003 में हो चुकी। इस प्रकार तीन पैमाइश हो चुकी है। जिसमें वादीगण ने कभी भी कोई एतराज पेश नही किया है। आराजी ख0नं0 70 रकवा 95 ऐयर वाके ग्राम ताजपुर तहसील गंगापुर सिटी का तन्हा इन्द्राज खातेदारी मिन जबावदारान प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम कागजात सरकार लैण्ड रिकार्ड रेवन्यु में दर्ज की जावे व इसी अनुसार लैण्ड होल्डर रिकार्ड रेवन्यु में प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज खातेदारी को लेखा दर्ज फरमाया जावे। इसी अनुसार जवाबदारान के नाम

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

षणा खातेदारी दर्ज फरमाया जावे। वादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से बन्द फरमाया जावे की आराजी हाल बन्दोवस्त खसरा नम्बर 70 रकबा 95 फरमाया जावे कि वे मिन जवाबदारान प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त उपयोग बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। भूमि किसी प्रकार से रहन बय, दान इत्यादि करे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई—

1. आया वादीगण न0 2 लगायत 5 के पिता तथा वादीन0 1/1 के बाबा दयानंद उर्फ दयाचंद थे व दयानंद, परसा व रामनारायण तीनो भाई थे।
——वादीगण

2. आया दयानंद, परसा व रामनारायण की खातेदारी मे सम्वत 2003 लगायत 2022 मे भूमि ख0न0 46 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा दर्ज थी जिसके एकीकरण मे ख0न0 35 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा व सेटिलमेन्ट मे ख0न0 70 रकबा 95 एयर कायम हुए है।
—वादीगण

3. आया भूमि एकीकरण मे भूमि की खातेदारी दयानंद, परसा व रामनारायण पुत्रान घासी के बजाय गलत रूप से दयाचंद पुत्र रामनारायण, रामधन पुत्र परसा, चमार के नाम दर्ज की दी गई। इसी प्रकार गलत प्रविष्टि सेटिलमेन्ट मे भी कर दी गई। जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। —वादीगण

4. आया रामनारायण पन्ना के गोद चला गया एवं परसा का पुत्र बचपन मे ही अपने नाना, मामा के यहॉ ग्राम चमारपुरा तहसील सपोटरा मे चला गया। इस प्रकार उपरोक्त भूमि मे इनका कोई हक नही रहा है एवं वादीगण ही इस भूमि पर काबिज है।
—वादीगण

5. आया वादीगण राजस्व रिकार्ड मे की गई गलती को दुरूस्त कराने तथा भूमि ख0न0 70 की खातेदारी के वर्तमान इन्द्राज निरस्त करवा कर भूमि की खातेदारी के अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।
—वादीगण

6. आया वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नही है एवं कब्जे के अभाव मे वादीगण घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी नही है।
—प्रतिवादीगण

7. आया वादीगण का दावा बिना काज आफ एक्शन होने के कारण ऑर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. से बार्ड बाई लॉ होने के कारण संचालित योग्य नही है।
—प्रतिवादीगण

8. आया वादीगण ने एक दावा मयाद बाहर व क्षेत्राधिकार के बाहर पेश किया है जो चलने योग्य नही है।
—प्रतिवादीगण

9. आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने व वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —प्रतिवादीगण

10. अनुतोष

प जिला कलेक्टर
गापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे खतौनी भूमि एकीकरण जमाबंदी संवत 2016 प्रदर्श 1, नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2003 से 2022 प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत 2028 से 2031 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2057 से 2060 प्रदर्श 4, नकल भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध 2039 प्रदर्श 6, नकल फर्द मिलान क्षेत्रफल 2003 प्रदर्श 7, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल बैरवा, प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.5.2013 जो रामधन पुत्र परसा बैरवा द्वारा राधेश्याम पुत्र नाथूलाल रैगर के हक मे तहरीर कराया गया है प्रदर्श 8 पेश किये है एवं बयान वादी जगनलाल पीडब्ल्यू 1, रामस्वरूप पुत्र विशन्या पीडब्ल्यू 2, वंशी पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद पीडब्ल्यू 3, श्रीमोहन पुत्र रामस्वरूप पीडब्ल्यू 4, रामजीलाल पुत्र मांगीलाल पीडब्ल्यू 5, श्यामलाल पुत्र नारायणलाल पीडब्ल्यू 6 के बयान कराये है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है और ना ही कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के कब्जे की भूमि है। वादग्रंस्त भूमि घासी की खातेदारी की भूमि रही है। घासी के तीन पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, परसा, रामनारायण हुए। इनमे परसा की मृत्यु हो गई एवं उसका पुत्र रामधन वादी दयानंद उर्फ दयाचंद के हक मे हक छोडकर अपने ननिहाल ग्राम चमारपुरा तह0 सपोटरा मे चला गया एवं वही रहता है। रामनारायण पन्ना के गोद चला गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे वादीगण एकमात्र काबिज काश्तकार व खातेदार रह गये है। वादीगण वादग्रस्त भूमि की अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादपत्र मे जवांबदावे के साथ सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी हेतु काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने काउन्टर क्लेम के समर्थन में कोई दस्तोवज, मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है एवं मुकदमे मे पैरवी के लिए उपस्थित भी

...जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स0मा0)

नही हुए है इसलिए उनका काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य नही है। वादीगण की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेजात नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2003– 2022 प्रदर्श 2 के अनुसार भूमि ख0न0 46 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा दयानंद, परसा, रामनारायण पिता घासी की खातेदारी मे दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण प्रदर्श 5 के अनुसार ख0न0 46 का एकीकरण मे ख0न0 35 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा बना है जो नकल खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2016 प्रदर्श 1 के अनुसार दयाचंद पुत्र रामनारायण, रामधन पुत्र परसा की खातेदारी मे दर्ज कर दी गई है जबकि साबिक प्रविष्ठियों के अनुसार यह दयानंद, परसा, रामनारायण की खातेदारी मे दर्ज होनी चाहिए थी। परसा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रामधन का नाम दर्ज होना चाहिए था। एकीकरण की जमाबंदी मे दयाचंद के पिता का नाम रामनारायण दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। इस जमाबंदी के अनुसार इसमे रामधन पुत्र परसा का 1/2 हिस्सा, दयाचंद का 1/2 हिस्सा बनता है जो गलत है। गत रिकार्ड के अनुसार इसमे दयाचंद का 1/3, रामनारायण का 1/3, रामधन का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। वादीगण इसकी दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। संवत 2028–31 की जमाबंदी प्रदर्श 3 व संवत 2057–60 की जमाबंदी प्रदर्श 4 मे रामधन के पिता का नाम ग्यारसा अंकित कर दिया गया है। जो भी दुरूस्ती होने योग्य है। हॉल भूप्रबन्ध मे साबिक ख0न0 35 का नवीन ख0न0 70 रकबा 0.95 है0 बनाया गया है। भूमि एकीकरण मे हुए गलत इन्द्राजात के आधार पर परसा के पुत्र रामधन ने 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान राधेश्याम पुत्र नाथूलाल रैगर को दिनांक 9.5.13 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 8 के अनुसार कर दिया है। जो दौराने दावा किया गया है एवं यह बेचान धारा 52 टी.पी. एक्ट के प्रावधानों के विपरित है। इसलिए राधेश्याम पुत्र नाथूलाल को वादग्रस्त भूमि मे कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। वादपत्र में राधेश्याम पुत्र नाथूलाल रैगर को भी पक्षकार बनाया गया है परंतु वाबजूद सूचना वह उपस्थित नही हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध बयानों के अनुसार रामनारायण काफी समय पहले पन्ना के गोद चला गया एवं रामधन पुत्र परसादी बचपन मे ही अपने नानी मामा के यहॉ चला गया तथा वादग्रस्त भूमि पर इन दोनो का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। रामधन पुत्र परसा ने जो विक्रय पत्र राधेश्याम के पक्ष में करवाया है उसमे भी भूमि का हिस्से से ज्यादा बेचान किया गया है तथा भूमि पर भौतिक रूप से खरीददार का कब्जा होना भी नही पाया गया है क्योकि खुद खरीददार अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मे उपस्थित नही हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है एवं इसी अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाता है तथा भूमि ख0न0 70 रकबा 095 है0 ग्राम ताजपुर में वादी संख्या 1/1 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2/1 ता 2/7 को प्रत्येक को 1/35–1/35 हिस्से का, वादी संख्या 3/1 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 5/1 ता 5/7 को प्रत्येक को 1/35–1/35 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त वर्णित भूमि मे वर्तमान मे दर्ज खातेदारी इन्द्राजात निरस्त किये जाकर उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण की खातेदारी दर्ज की जावे एवं राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

(28)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil

Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

1. देवीलाल पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 लक्ष्मण पुत्र देवीलाल जाति चमार निवासी गंगापुर सिटी

2 जगनलाल पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

2/1 सज्जन कुमार | पुत्रान स्वर्गीय श्री जगनलाल जाति चमार

2/2 संजीव कुमार | निवासी गंगापुर सिटी

2/3 शीला पत्नी बाबूलाल पुत्री स्व. जगनलाल, चमार नि. फलोदी जिला सवाई माधोपुर

2/4 प्रेम पत्नी हरिलाल पुत्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम फलौदी

2/5 मोहनी पत्नी बत्तूसिंह पुत्री श्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम अकोलपुरा तहसील व जिला करौली

2/6 मिथलेश पत्नी जलसिंह पुत्री श्री जगनलाल, चमार निवासी ग्राम अकोलपुरा तहसील व जिला करौली

2/7 सुमन पत्नी बवलू पुत्री जगनलाल, चमार निवासी नादौती जिला करौली

3 पूरण पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

3/1 शिवचरण पुत्र पूरण, चमार निवासी गंगापुर सिटी

4 गोविन्दा पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी

5 बंशी पुत्र दयानंद उर्फ दयाचंद, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

5/1 नारायणी बेवा स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी

5/2 राजू पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी

5/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी

5/4 पवन पुत्र स्व. बंशी, चमार निवासी गंगापुर सिटी

5/5 गुड्डी पत्नी गोपाल पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम बागौर तहसील नौदाती जिला करौली

5/6 विमला पत्नी स्वर्गीय बत्तीलाल पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम बागौर तहसील नादौती जिला करौली

5/7 मन्जू पत्नी अशोक कुमार पुत्री स्वर्गीय बंशी, चमार निवासी ग्राम फलौदी तहसील व जिला करौली —वादीगण

बनाम

1 रामनारायण दत्तक पुत्र पन्ना, चमार निवासी गंगापुर सिटी (मृतक)

1/1 रमेश पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी

1/2 कान्जी पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी

1/3 भौरया पुत्र स्व. रामनारायण, चमार निवासी गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर

पुर सिटी (स0मा0)

बयान गवाह

आज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी जो व मुकद्मे देवीलाल वगैरा बनाम रामनारायण वगैरा मुकद्मा नम्बर 09 सन् 2004 दावा तारीख 26.9.19 लिखा गया।

मै हल्फ से (सौगन्ध से) कहता हूँ कि मेरा नाम रामजीलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति बैरवा उम्र 62 साल पेशा मिस्त्री का काम निवासी संजय कॉलोनी तह0 गंगापुर सिटी है।

शपथ दिलाई गई।

मैने अपना शपथ पत्र आज दिनांक 26.9.2019 प्रस्तुत कर दिया है जिसे मेरा मुखपरीक्षण समझा जावे। शपथ पत्र पर प्रत्येक पेज पर ए से बी मेरी हस्ताक्षर है। जो मैने पढलिख कर सुन समझ कर किये है। मै वादीगण को जानता हूँ। वादीगण देवीलाल जगनलाल पूरण गोविन्दा बंशी के पिता दयानंद उर्फ दयाचंद थे। दयानंद वगैरा तीन भाई थे जिनमे एक भाई परसा, रामनारायण। रामनारायण तो कॉफी समय पहले पन्ना के गोद चला गया। इस कारण रामनारायण का कोई वैधानिक अधिकार घासी की उपरोक्त विवादित खसरे पर नही रहा। रामनारायण कोई दयाचंद का पिता नही था भाई था। रामनारायण पन्ना चमार निवासी गंगापुर सिटी के गोद चले जाने के कारण उसने उक्त विवादग्रस्त आराजी को कभी काश्त नही किया। रामधन पुत्र परसादी बचपन मे ही अपने नाना मामा के गॉव चमारपुरा तह0 सपोटरा मे चला गया और उसने कोई अधिकार व हक उक्त वादग्रस्त आराजी मे नही रखा। मै पढा लिखा नही हूँ। मुझे विवादित भूमि के खसरा नम्बर के पता नही है। रामधन बचपन के वादग्रस्त आराजी को स्वेच्छा से छोडकर चला गया और उसका इस विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नही रहा है। वादीगण ही उक्त भूमि को लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मेरी जमीन भी वादीगण की जमीन के पास ही है।

आर0ओ.एण्ड ए0सी0

रामजीलाल

26.9.2019